

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क.ःएफ.280परावि/प्रशा.2/पंचा.प्र.अ.-कल्याणपुर/निलम्बन/2018/ 650 जयपुर, दिनांक: 19/05/20

:: आदेश ::

विभागीय आदेश क्रमांक 970 दिनांक 21.02.2018 द्वारा श्री दीपाराम, पंचायत प्रसार अधिकारी (सहायक विकास अधिकारी), पं.स. कल्याणपुर (बाड़मेर) को निलम्बित किया जाकर, निलम्बन काल में इनका मुख्यालय जिला परिषद बाड़मेर किया गया था, को जांच विचाराधीन रखते हुये तत्काल प्रभाव से निलम्बन से बहाल किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से

(अनुप्रेरणा सिंह कुन्तल)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (II)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बाड़मेर।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति कल्याणपुर (बाड़मेर)।
4. श्री। दीपाराम, पंचायत प्रसार अधिकारी (सहायक विकास अधिकारी), पं.स. कल्याणपुर (बाड़मेर), मुख्यालय जिला परिषद बाड़मेर।
5. ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. आदेश पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (II)